न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहाबाद

प्रकरण संख्या 26/15 दायरा दिनांक 21.07.2015

पीठासीन अधिकारी – दीनानाथ बबल (आर.ए.एस.)

1–मथुरालाल पुत्र जीवनलाल जाति पटवा निवासी राजपुर तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान **(दौराने दावा दिनांक 09.10.2016 को फौत)**

1/1. राजकुमार पुत्र मथुरालाल उम्र 45 वर्ष जाति पटवा निवासी राजपुर तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

1/2. घनश्याम पुत्र मथुरालाल उम्र 42 वर्ष जाति पटवा निवासी राजपुर तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

1/3. अशोककुमार पुत्र मथुरालाल उम्र 40 वर्ष जाति पटवा निवासी राजपुर तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

1/4. गीताबाई पुत्री मथुरालाल उम्र 47 वर्ष जाति पटवा निवासी राजपुर तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

1/5. दाखाबाई पत्नि मथुरालाल उम्र 66 वर्ष जाति पटवा निवासी राजपुर तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

–वादी

बनाम

1–भगवत पुत्र पन्नालाल जाति किराड निवासी राजपुर तह. शाहाबाद जिला बारां राजस्थान
2–लक्खी पुत्र भगवत जाति किराड निवासी राजपुर तह. शाहाबाद जिला बारां राजस्थान
3–जगदीश पुत्र भगवत जाति किराड निवासी राजपुर तह. शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 183, 188 आर.टी.एक्ट वास्ते बेदखली बाद स्थाई निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ

निर्णय दिनांक– 16.01.2020

उपस्थित– 1. श्री हेमराज नामदेव एडवोकेट (वादी)
2. एकपक्षीय (प्रतिवादीगण)

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम तेलनी पटवार क्षेत्र बेंटा तहसील शाहाबाद में आराजी खसरा नम्बर 259 रकबा 1.17 बीघा, खसरा नम्बर 260 रकबा 2.02 बीघा, खसरा नम्बर 501/261 रकबा 3.00 बीघा, खसरा नम्बर 502/262 रकबा 2.00 बीघा किता 4 रकवा कुल 8.19 बीघा स्थित है, जिसे दावे में आगे विवादित आराजी कहा गया है। उक्त विवादित आराजी मौके पर एक ही रकवा हंकता है, वादी के एकमात्र खाते व कब्जे काश्त की है, जिसमें वादी के अलावा किसी अन्य का कोई हक व अधिकार नहीं है। प्रतिवादीगण आपस में पिता–पुत्र है, जिन्होने गत वर्ष अनाधिकृत तौर पर वादी के खेत की मेंढ तोडकर हांक दी और वादी की उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 259 रकबा 1.17 बीघा में से रकवा 1.10 बीघा पर, खसरा नम्बर 260 रकबा 2.02 बीघा में से रकवा 1.00 बीघा पर तथा खसरा नम्बर 501/261 रकबा 3.00 बीघा में से रकवा 1.00 बीघा पर बिना किसी अधिकार के सोयावीन बोकर कब्जा कर लिया, वादी के कहने पर प्रतिवादीगण ने बाद पैमायश कब्जा छोडने की कहा, जिस पर वादी ने दिनांक 4.6.2014 को वादग्रस्त आराजी की पैमायश कराई, और बाद

उपखण्ड अधिकारी
शाहबाद जिला बारॉं (राज.)

Scanned by CamScanner

खाते की आराजी खसरा नम्बर 259 में 1.10 बीघा, खसरा नम्बर 260 में 1.00 बीघा तथा खसरा नम्बर 261 में 1.00 बीघा पर प्रतिवादीगण का कब्जा है, जो अनाधिकृत होकर अतिचारी की श्रेणी में आता है। इस प्रकार यह तनकी वादी के हक में प्रमाणित पाई जाकर वादी के हक में तय की जाती है।

3–आया प्रतिवादी के खाते की ख.नं. 472/257 रकबा 15.00 बीघा को अपनी बतलाकर वादी यह झूंठा दावा लाया है, जो चलने योग्य नहीं है ?

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण का है। प्रतिवादीगण की ओर से ऐसी कोई मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है, जिससे यह साबित होता हो कि वादी ने प्रतिवादी के खाते की आराजी ख.नं. 472/257 रकबा 15.00 बीघा को अपनी बतलाकर यह झूंठा दावा पेश किया हो। इस प्रकार यह तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्व तय की जाती है।

4–आया विवादित आराजी तरमीम नहीं होने से दिनांक 4.6.14 को पैमायश गलत है, जिसके आधार पर प्रस्तुत वाद चलने योग्य नहीं है ?

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण का है। प्रतिवादीगण की ओर से ऐसी कोई मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है, जिससे वादी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 4.6.14 प्रदर्श–3 गलत होना साबित होती हो। इस प्रकार यह तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्व तय की जाती है।

5–अनुतोष ?

इस प्रकार उपरोक्त विस्तृत विश्लेषण के आधार पर वादी के खाते व कब्जेकाश्त की वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 259 रकबा 1.17 बीघा में से 1.10 बीघा पर, खसरा नम्बर 260 रकबा 2.02 बीघा में से 1.00 बीघा पर तथा खसरा नम्बर 501/261 रकबा 3.00 बीघा में से 1.00 बीघा पर प्रतिवादीगण का कब्जा होना पाया जाता है, जो अनाधिकृत होकर अतिचारी की श्रेणी में आता है, जिन्हे बेदखल कराकर वादी पुनः कब्जा प्राप्त करने के वैधानिक अधिकारी पाये जाते हैं।

आदेश

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को वादी के खाते की आराजी ग्राम तेलनी तहसील शाहाबाद खसरा नम्बर 259 रकबा 1.17 बीघा में से 1.10 बीघा पर, खसरा नम्बर 260 रकबा 2.02 बीघा में से 1.00 बीघा पर तथा खसरा नम्बर 501/261 रकबा 3.00 बीघा में से 1.00 बीघा पर अतिचारी घोषित किया जाकर बेदखल किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादी के विवादित आराजी कब्जेकाश्त में भविष्य में किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे, न अन्य से करावें। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 07.01.2020 को सरे इजलास सुनाया गया। तदानुसार डिक्री पर्चा जारी हो। बाद तकमील पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद (बारां)

Scanned by CamScanner